संख्या-12/2024/237ई-2/तेरह-2024-1145672

प्रेषक,

उमेश कुमार तिवारी
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक:12 मार्च, 2024

विषयः-आबकारी राजस्व बकाये की वसूली हेतु एकमुश्त समाधान योजना लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-11/2024/216ई-2/तेरह-2024-1145672, दिनांक 07-03-2024 के क्रम में अपने पत्र संख्या:जी-190/आठ-18ए/आडिट/एकमुश्त समाधान योजन/2023-24, दिनांक 11-03-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त पत्र के माध्यम से आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त **"एकमुश्त समाधान योजना 2023-24"** के संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक 07-03-2024 के प्रस्तर-3 में **"एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत बकाया धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया"** शीर्षक के अन्तर्गत अंकित प्राविधान की अंतिम पंक्ति (तालिका के कॉलम-3 में अंकित) को कॉलम-4 के अनुरूप संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.सं.	शासनादेश का प्रस्तर एवं शीर्षक	शासनादेश दिनांक 07-03-2024 में अंकित प्राविधान	शासनादेश दिनांक 07-03-2024 प्रस्तर-3 में संशोधित प्राविधान
1	**2**	**3**	**4**
1	शासनादेश दिनांक 07-03-2024 का प्रस्तर-3 शीर्षक- एकमुश्त समाधान योजनान्तर्गत बकाया धनराशि की अदायगी की प्रक्रिया	यदि बकायेदार चाहे तो प्रथम किस्त में ही मूलधन एवं मूलधन के बराबर ब्याज की धनराशि का भुगतान एकमुश्त कर सकता है।	यदि बकायेदार चाहे तो प्रथम किश्त में ही मूलधन एवं उस पर आगणित अद्यतन ब्याज के 50 प्रतिशत की धनराशि का भुगतान एकमुश्त कर सकता है।

3. अतः अनुरोध है कि कृपया **"एकमुश्त समाधान योजना 2023-24"** को प्रभावी एवं समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराये जाने हेतु अग्रतर आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उमेश कुमार तिवारी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in